रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 1969/फाल्गुन 5, 1890
No. 32] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 1969/PHALGUNA 5, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1969

सा० का० नि० 451.—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, व्हीट रोलर फ्लोर मिल्ज़ (लाइसेन्सिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1957 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश व्हीट रोलर फ्लोर मिल्ज़ (लाइसेन्सिंग एण्ड कन्ट्रोल) संशोधन आदेश, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) यह मार्च 1969 के पहले दिन को प्रवृत्त होगा।

2. व्होट रोलर फ्लोर मिल्ज (लाइसेन्सिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, उपखंड (ख) और (ग) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के लिए "राज्य सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल आदेश के खंड 10 को उपखंड (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु मद (क) के अधीन कोई भी निदेश केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त किए बिना नहीं निकाला जाएगा।"

4. मूल आदेश के खंड 12 में, "सचिव, भारत सरकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग," शब्दों के लिए "राज्य सरकार के खाद्य सम्बन्धी विभाग का सचिव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. प्रत्येक व्यक्ति, जो मूल आदेश के अधीन निकाली गई अनुज्ञप्ति इस आदेश के प्रारम्भ पर धारित करता है उन्हीं निबन्धनों और शर्तों के अधीन उक्त अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अवसान तक, ऐसे संशोधनों के होते हुए भी धारित करता रहेगा जो इस आदेश द्वारा मूल आदेश के खंड 2 में किए गए हैं ।

[सं० 203 (सा० का० नि०) (1)/1066/69—पी० वा० ई० 2]

आर० बालसुब्रमनियन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969